

[2023] 5 एस. सी. आर 772

/

[2023] 5 एस सी आर।

/

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम

भारत का संघ व अन्य ।

(सिविल अपील सं.6301 2013 का) 12 मई, 2023

/

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

सेवा कानून:

अंतरिक्ष कर्मचारी विभाग (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 -आर. 16 (iii)- कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया-राज्य की सुरक्षा के हित में कोई जांच किए बिना सेवा से बर्खास्तगी। 16 (iii)-भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-आई. एस. आर. ओ. में उच्च पदस्थ वैज्ञानिक-अपीलार्थी के साथ हस्तक्षेप-अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, बिना अनुमति के डॉक्टर के बाद अनुसंधान करने के लिए देश से अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप लगाते हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मेलन में एक तकनीकी पत्र के प्रकाशन के लिए पहले लेखक के रूप में एक विदेशी को सह-लेखकों में से एक के रूप में, बिना पूर्व अनुमति या अनुपस्थिति की तारीख से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया-हालांकि, न्यायाधिकरण ने माना कि अपीलार्थी की बर्खास्तगी बर्खास्तगी आदेश की तारीख से प्रभावी थी, और निर्वाह भत्ते की वसूली से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया-अपील पर उच्च न्यायालय ने कहा:जब इस संतोष पर पहुंचने में सक्षम सामग्री कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" जांच करना समीचीन नहीं है, उपलब्ध होती है, तो यह अभिनिर्धारित करने का निर्णय कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" जांच करना अनुचित है, आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आगे की न्यायिक समीक्षा के अधीन होने के लिए उपयुक्त नहीं है-इसरो में उच्च प्रोफाइल वैज्ञानिक के रूप में अपीलकर्ता की भूमिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसरो की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता की अनधिकृत अनुपस्थिति, अनधिकृत सहयोग और विदेशी संस्थान के साथ लगातार लेनदेन विशेष रूप से रणनीतिक अनुसंधान और विकास विषय में, जिसके आधार पर देश के रॉकेट और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं/आगे बढ़ रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय था।

/

/

/

/

/

/

772

773

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स।

निर्भरता और विश्वसनीयता-सेवा से बर्खास्तगी को अवैध या पूरी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है-इस प्रकार, अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-न्यायिक समीक्षा-भारत का संविधान-कला।311(2),136.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

/

अभिनिर्धारित किया :**1.1** अंतरिक्ष कर्मचारी विभाग (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, **1976** के नियम **16** का खंड **(iii)** एक सेवा नियम है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे प्रावधान के खंड **(सी)** को वस्तुतः पुनः प्रस्तुत करता है, हालांकि उपयोग की गई भाषा समान नहीं है।अपीलार्थी ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि नियम **16 (iii)** अनुच्छेद **311 (2)** के दूसरे परंतुक के खंड **(ग)** के साथ समान सामग्री में है।जब एक बार ऐसा पाया जाता है, तो तुलसीराम पटेल के मामले में तय की गई स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है और बाद के फैसलों में दोहराया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना, यानी आरोप पत्र जारी करने के बाद जांच करना और उन आरोपों पर एक सरकारी कर्मचारी को सुनवाई प्रदान करना, तीन प्रमुख दंडों में से किसी को भी लागू करने के प्रस्ताव के मामले में-बर्खास्तगी, पद से हटाना या रैंक में कमी तब उत्पन्न नहीं होगी जब सीसीए नियमों के नियम **16 (iii)** के अंतर्गत शक्ति का उपयोग किया जाता है।इस प्रकार विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह पता चला है कि यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या सी. सी. ए. नियमों के नियम **16** के खंड **(iii)** के अंतर्गत शक्ति के आह्वान में जांच किए बिना अपीलार्थी को सेवा से हटाने के खिलाफ चुनौती के संबंध में न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है या नहीं।[पैरा **16**] [790-सी-एफ]

/

/

/

1.2 यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वयं जानता था कि वह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अत्यधिक संवेदनशील और रणनीतिक अनुसंधान और विकास संगठन, इसरो में एक उच्च-प्रोफाइल वैज्ञानिक है। न्यायालय एक द्वीप नहीं हो सकता है और इसरो से जुड़े एक वैज्ञानिक/इंजीनियर की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसरो की भूमिका से अनजान नहीं हो सकता है। जाहिर है, यह भारत के लिए बाहरी अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शामिल है। अपीलार्थी वी. एस. एस. सी., आई. एस. आर. ओ. के तिरुवनंतपुरम में एक वैज्ञानिक/इंजीनियर है। एक साल के लिए विश्राम अवकाश के लिए आवेदन करने के बाद और जब सक्षम प्राधिकारी ने सेवा की आवश्यकता में अवकाश की सिफारिश नहीं करने का फैसला किया, तो उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर **21.08.2003** से **29.08.2003** तक नौ दिनों के अर्जित अवकाश के लिए आवेदन किया।

/

/

/

774 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

/

मैदान और फिर दक्षिण कोरिया चला गया। दक्षिण कोरिया पहुँचने पर, दिनांक **01.09.2003** के ई-मेल के माध्यम से, अपीलार्थी ने वी. एस. एस. सी. में अपने संभागीय प्रमुख को दक्षिण कोरिया में अपने पोस्ट-डॉक्टरल शोध को पूरा करने और प्रो. एच. डी. किम, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रमुख, एंडोंग नेशनल यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया। हालांकि उनके आवेदन दिनांक **18.07.2003** को मंजूरी नहीं दी गई थी, एक अन्य ई-मेल के माध्यम से, उन्होंने **01.09.2003** से **28.11.2003** तक **89** दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया और यह सूचित किए जाने के बावजूद दक्षिण कोरिया में रहना जारी रखा कि उनकी छुट्टी को मंजूरी नहीं दी गई थी और उन्हें **11.09.2003** के बाद ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना आवश्यक था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया जाने से पहले, उन्होंने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त किए बिना, **39** वें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स (ए. आई. ए. ए.) संयुक्त प्रणोदन सम्मेलन, यू. एस. ए. में सह-लेखकों में से एक के रूप में एक विदेशी के साथ पहले लेखक के रूप में एक तकनीकी पत्र प्रकाशित किया था। हालांकि वह इस बात की पूरी जानकारी के साथ कि विश्राम अवकाश के लिए उनके आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई थी, आई. डी. **1** पर फिर से ड्यूटी में शामिल हो गए, लेकिन वे मार्च **2004** में संगठन को जानकारी दिए बिना और अनुमति प्राप्त किए बिना दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो

गए।वह **18.05.2004** पर फिर से ड्यूटी में शामिल हो गया और फिर, अधिकारियों की अनुमति के बिना **28.05.2004** पर दक्षिण कोरिया वापस चला गया। उक्त तथ्यात्मक पहलुओं से पता चलता है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपीलार्थी दक्षिण कोरिया गया, एंडोंग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया में शामिल हुआ और प्रो. एच. डी. किम, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रमुख और रॉकेट्री पर अनुसंधान में शामिल उक्त विदेशी संस्थान के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा, जो कि इसरो में एक रणनीतिक अनुसंधान और विकास विषय है। अनुलग्नक-पी1 पत्र दिनांक **28.08.2002** प्रो. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एच. डी. किम स्वयं प्रो. के प्रयोगशाला में शोध परियोजना की प्रकृति को प्रकट करेंगे। एच. डी. किम और अनुलग्नक पी4 अपीलार्थी को बार-बार दी गई सलाह का खुलासा करेंगे कि भविष्य में किसी भी बाहरी एजेंसी, जैसे कि एंडोंग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया, के साथ इसरो में उपयुक्त अधिकारियों की अनुमति के बिना कोई संपर्क न करें। आगे के निर्विवाद तथ्य इस तरह के निर्देशों की अनदेखी करते हुए उस विश्वविद्यालय के साथ उनके लगातार व्यवहार को प्रकट करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में, एक विदेशी एजेंसी/विश्वविद्यालय के साथ उनका निरंतर जुड़ाव, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वे इसरो में एक जिम्मेदार वैज्ञानिक हैं, जो एक अत्यधिक संवेदनशील और ए.

/

/

/

/

/

/

/

775

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स।

यदि अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत रणनीतिक अनुसंधान और विकास संगठन को संदिग्ध रूप से देखा जाए और सोचा जाए कि इसरो की महत्वपूर्ण रॉकेट प्रौद्योगिकियों के साथ उनके संपर्क से गंभीर जटिलताएं पैदा होंगी, तो इसे पदार्थ से रहित नहीं कहा जा सकता है और राज्य की सुरक्षा के संबंध में चिंता का विषय नहीं कहा जा सकता है। विशेष शाखा अंतर्गत अपीलार्थी की विशेषज्ञता को ध्यान अंतर्गत रखते हुए और यह कि वह **1992** से आई. एस. आर. ओ. के अधीन काम कर रहा है, उस अनुभव के संबंध अंतर्गत कोई संदेह नहीं हो सकता है जो उसने आई. एस. आर. ओ. से इस विषय अंतर्गत एकत्र किया था और ऐसी

परिस्थितियों अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति के विदेश चले गए और वापस आने की सलाह और निर्देशों के बावजूद काफी लंबे समय तक वहां बने रहे और रॉकेट्री पर शोध करने वाले ऐसे विदेशी संगठन/विश्वविद्यालय के साथ जुड़ना जारी रखा, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी संगठन ने अपनी ईमानदारी, अखंडता, विश्वसनीयता, निर्भरता और विश्वसनीयता पर संदेह का मनोरंजन करने अंतर्गत कोई त्रुटि या गलती की है और सबसे बढ़कर इस तरह के कार्यों को राज्य की सुरक्षा के संबंध अंतर्गत चिंता का विषय माना है।[पैरा **21**] [793-एफ-एच; 794-ए-एच; 795-ए-सी]

/

/

/

1.3 सी. सी. ए. नियमों के नियम **16 (iii)** में यह समझने के लिए किसी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है कि इसमें दो अंग हैं।सबसे पहले, इसे आकर्षित करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होती है कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" सी. सी. ए. नियमों में दिए गए तरीके से कोई जांच करना समीचीन नहीं है।दूसरा अंग अनुशासनात्मक प्राधिकारी को मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करने और उस पर ऐसे आदेश देने में सक्षम बनाता है, जो वह उचित समझता है।तत्काल मामले में, सी. सी. ए. नियमों के नियम **16 (iii)** के प्रावधान के आह्वान में, राष्ट्रपति के इस संतोष पर जांच किए बिना कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" सी. सी. ए. नियमों में दिए गए तरीके से कोई जांच करना समीचीन नहीं है, अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया था। [पैरा **22**] [795-डी-एफ]

/

/

/

1.4 यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि न्यायाधिकरण के आदेश के केवल अवलोकन से यह पता चलेगा कि न्यायाधिकरण ने इस प्रश्न पर विचार केवल सी. सी. ए. नियमों के नियम **16 (iii)** तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि इसके अनुच्छेद **311 (ii)** के दूसरे परंतुक से प्राप्त शक्ति के स्रोत को भी ध्यान में रखा था।

/

776 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

/

भारत का संविधान। जाहिर है, इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या सी. सी. ए. नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई जांच करना समीचीन है और "राज्य की सुरक्षा के हित" के आधार पर इसकी समीचीनता या अयोग्यता के बारे में संतुष्टि प्राप्त की जानी चाहिए। संविधान पीठ ने 'राज्य की सुरक्षा' अभिव्यक्ति के अर्थ और दायरे पर विचार किया है।

/

तुलसीराम पटेल का मामला। [पैरा 23] [796-बी-सी]

1.5 यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह संतोष कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" जांच करना समीचीन नहीं है, बिना किसी सामग्री के किया गया था। जब एक बार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संतोष पर पहुंचने में सक्षम सामग्री पर आधारित परिस्थितियां कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" जांच करना समीचीन नहीं है, तो यह निर्णय यह मानते हुए उपलब्ध होता है कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" जांच करना अनुचित है, जिससे आगे जांच की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे न्यायिक समीक्षा के अधीन होना उचित नहीं है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय, ऐसी परिस्थितियों में, जांच को समाप्त करने की समीचीनता या अयोग्यता पर निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि यह सामग्री के आधार पर राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर किया गया था। इस प्रकार, उक्त मुद्दे पर न्यायाधिकरण और फिर उच्च न्यायालय की ओर से अनिच्छा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 24] [797-डी. एफ.] **1.6** न्यायाधिकरण द्वारा अनुपस्थिति की तिथि से बर्खास्तगी के आदेश को दी गई पूर्वव्यापीता में हस्तक्षेप किया गया था। यह अंतिम हो गया है और इसे प्रत्यर्थी संगठन द्वारा बर्खास्तगी के आदेश की तारीख से इसके प्रभाव की तारीख को संशोधित करके प्रभावी किया गया था। हालाँकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तरह के आदेश को दुर्भावनापूर्ण आधार पर या पूरी तरह से बाहरी आधारों पर आधारित होने के कारण चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मामले में, बर्खास्तगी के आदेश को ऐसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाती है। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को इस प्रश्न का निर्णय करते समय कि किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपराधी कर्मचारी पर क्या जुर्माना लगाया जाना चाहिए, अपराधी कर्मचारी के पूरे आचरण, उसके द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता, प्रशासन पर उसके कदाचार के प्रभाव और अन्य ए को ध्यान में रखना होगा।

/

/

/

/

/

/

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स।

यदि मामले में कोई मौजूद है तो परिस्थितियों को बढ़ाना या सुविधाओं को भुनाना और इसी तरह आगे बढ़ना। न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे पहलुओं पर गौर किया गया। इसमें एक वैज्ञानिक/इंजीनियर के रूप में उनकी भूमिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसमें की भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की ओर से किए गए कार्यों और चूक का उल्लेख किया गया है। यह केवल अपीलार्थी की अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं है जो वास्तव में प्राधिकरण के साथ वजन करती है और स्पष्ट रूप से, संगठन इस मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए ईमानदारी, अखंडता, विश्वसनीयता, निर्भरता और विश्वसनीयता पर संदेह करने में पूरी तरह से उचित है, जैसा कि जवाबी शपथपत्र में समझाया गया है, इस रुख पर विचार करने के अलावा कि विदेशी संस्थान के साथ उनका अनधिकृत जुड़ाव, विशेष रूप से प्रणोदन के क्षेत्र में, जो संगठन में एक रणनीतिक अनुसंधान और विकास विषय है और जिसके आधार पर देश के रॉकेट और महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं/आगे बढ़ रहे हैं, राज्य की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय था। जब इस तरह के कार्य/आचरण एक संवेदनशील और रणनीतिक संगठन में एक वैज्ञानिक द्वारा किए जाते हैं, तो सेवा से बर्खास्तगी लगाने के निर्णय को अवैध या पूरी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद **136** के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गारंटी देता है। [पैरा **25**] [**797-G-H; 798-A-D-H; 799-A**]

/

/

/

/

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तुलसीराम पटेल और अन्य। (1985)

3 एससीसी 398:[1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. **131**-अनुसरण किया गया।

दक्षिणी आर. एल. और ए. एन. आर. वी. टी. आर. चेन्नप्पन **1976 3 एससीसी**

190 :[1976] 1 एससीआर 783-पर निर्भर।

/

प्रभागीय कार्मिक अधिकारी, भारत संघ बनाम बलबीर सिंह (1998) 5 एस. सी. सी. 216;
ए. के. कौल बनाम भारत संघ

(1995) 4 एससीसी 73:[1995] 3 एससीआर 469; भारत संघ बनाम एम. एम. शर्मा
(2011) 11 एस. सी. सी. 293:[2011] 6 एस. सी. आर. 18-संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

**(1998) 5 एस. सी. सी. 216 पैरा 12 [1995] 3 एस. सी. आर. 469 पैरा 12
[2011] 6 एस. सी. आर. 18**

पैरा **14** को संदर्भित किया गया

/

778 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

/

[1985] 2 पूरक।एस. सी. आर. 131 के बाद पैरा **16,23,25 [1976] 1 एस. सी.
आर. 783** पैरा **25** पर निर्भर था।

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2013 की सिविल अपील No.6301।

डब्ल्यूपी (सी) No.33421of 2008 (एस) में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित
16.01.2012 के निर्णय और आदेश से।

/

गोपाल शंकरनारायणन, एस. एन. भट, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री मालिनी पोदुवाल, सुश्री बबीता संत,
साव्या सची नारायणन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., शैलेश मडियाल, विनायक एस. पंडित, शरत नांबियार, मोहम्मद।
अखिल, इंदिरा भाकर, टी. एस. शबरीश, अनिरुद्ध शर्मा-द्वितीय, अमरीश कुमार, कृष्ण पाल मावी,
सुश्री बीनू टम्टा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

सी. टी. रविकुमार जे.

1. डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता (ग) 2008 का No.33421, जो राज्य की सुरक्षा के हित में बिना जांच के सेवा से अपनी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अपनी चुनौती में असफल रहा है, उसने केरल उच्च न्यायालय द्वारा उस पर पारित 16.01.2012 के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय ने 2007 के ओ. ए. संख्या 653 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम पीठ के दिनांकित आदेश के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया।

/

2. संक्षेप में कहा गया है कि जिस मामले की परिणति आक्षेपित निर्णय में हुई, वह इस प्रकार है:

/

अपीलार्थी को शुरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (संक्षिप्तता के लिए 'इसरो') के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (संक्षिप्तता के लिए 'वी. एस. एस. सी.') में समूह-ए में वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस. सी.' के रूप में 15.01.1992 पर नियुक्त किया गया था। 01.07.1999 पर, उन्हें वैज्ञानिक/इंजीनियर 'SD' के रूप में पदोन्नत किया गया था। जबकि, 28.08.2002 पर, अपीलार्थी को प्रो. एच. डी. किम, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रमुख, एंडोंग नेशनल यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया, एक पोस्ट-डॉक्टरल प्रशिक्षु के रूप में शामिल होंगे और एक वर्ष के लिए उनकी सहायता करेंगे, अपीलार्थी को सॉलिड रॉकेट मोटर्स में प्रारंभिक और क्षणिक प्रवाह पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ के रूप में मान्यता देंगे। 18.07.2003 पर, अपीलार्थी ने एक वर्ष के लिए विश्राम अवकाश के लिए आवेदन किया।

/

/

779

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

/

सक्षम प्राधिकारी ने सेवा की आवश्यकता और जनहित में छुट्टी की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लिया। अपीलार्थी ने व्यक्तिगत आधार पर 21.08.2003 से 29.08.2003 तक 9 दिनों के लिए अर्जित अवकाश के लिए आवेदन किया और जल्द ही दक्षिण कोरिया चला गया। 01.09.2003 दिनांकित ई-मेल के माध्यम से, उन्होंने वी. एस. एस. सी. में अपने संभागीय प्रमुख को सूचित किया कि छुट्टी के लिए उनके अनुरोध को संसाधित करने में देरी के कारण, वह दक्षिण कोरिया के एंडोंग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अपने डॉक्टरेट के बाद के शोध के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे। अपीलार्थी ने 01.09.2003 से 28.11.2003 तक 89 दिनों के लिए ई-मेल के माध्यम से एक और छुट्टी आवेदन भेजा। दिनांक 05.09.2003 के ई-मेल के अनुसार, अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि उसकी छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई थी और उसे 11.09.2003 के बाद ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना आवश्यक

था। इस बीच, प्रत्यर्थी संगठन को पता चला कि अपीलार्थी ने सक्षम प्राधिकरण की विशिष्ट मंजूरी प्राप्त किए बिना जुलाई, 2003 के दौरान आयोजित 39 वें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स (ए. आई. ए. ए.) संयुक्त प्रणोदन सम्मेलन, यू. एस. ए. में सह-लेखकों में से एक के रूप में एक विदेशी के साथ पहले लेखक के रूप में एक तकनीकी पत्र प्रकाशित किया था। इसके बाद, अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना या सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त किए बिना कागजातों की अनधिकृत अनुपस्थिति और प्रकाशन के लिए 19.12.2003 पर आरोप पत्र दायर किया गया। 3. अपीलार्थी 23.01.2004 पर फिर से ड्यूटी में शामिल हुआ और संगठन या उसकी अनुमति के बिना मार्च, 2004 में फिर से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गया। हालांकि उन्होंने विभागीय जांच में प्रारंभिक सुनवाई में भाग लिया, लेकिन उन्होंने आगे की कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला किया था। इसलिए, जांच एकतरफा रूप से की गई थी और जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोपों को रखने वाली जांच रिपोर्ट की प्रति उन्हें भेजी गई थी।

/

/

/

/

4. इस बीच, अपीलार्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष दो मूल आवेदनों को असफल रूप से प्राथमिकता दी।, ओ. ए. संख्या 150/2004 और 529/2004। बाद में, वह भारत वापस आ गए और 18.05.2004 पर फिर से ड्यूटी में शामिल हो गए। पुनः, अपीलार्थी अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना 28.05.2004 पर दक्षिण कोरिया वापस चला गया। नतीजतन, दिनांक 13.07.2004 के आदेश के अनुसार उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई होने तक सेवा से निलंबित कर दिया गया था। अंततः, दिनांक 11.08.2007 के आदेश के अनुसार, अपीलार्थी को अंतरिक्ष कर्मचारी विभाग (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 के नियम 16 के खंड (iii) के अंतर्गत 01.09.2003 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे इसके बाद संक्षिप्त रूप से 'सी. सी. ए. नियम' के रूप में संदर्भित किया गया था। दिनांक 13.08.2007 के आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी को उसके बाद प्राप्त निर्वाह भत्ता वापस करने के लिए कहा गया था।

/

/

/

780

/

01.09.2003, क्योंकि उन्हें W. E. F. 01.09.2003 से बर्खास्त कर दिया गया था। अपीलार्थी ने 2007 का ओ. ए. सं. 653 दायर कर सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने की मांग की और उसे सेवा में फिर से स्थापित करने के आदेश के अलावा 01.09.2003 के बाद प्राप्त निर्वाह भत्ते की वापसी का निर्देश देने का भी आदेश दिया। दिनांक 30.09.2008 के आदेश के अनुसार, न्यायाधिकरण ने ओ. ए. को आंशिक रूप से अनुज्ञात, हालांकि अपीलार्थी को बर्खास्त करने का आदेश कायम रखा गया था, न्यायाधिकरण ने 01.09.2003 से इसे पूर्वव्यापीता के अनुदान को रद्द कर दिया। दूसरे शब्दों में, इसका प्रभाव केवल आदेश की तारीख से लेने का आदेश दिया गया था। 11.08.2007 पूर्वव्यापीता को रद्द करने के लिए एक आवश्यक अगली कड़ी के रूप में, यह आदेश दिया गया था कि निर्वाह भत्ते की कोई वसूली नहीं होनी चाहिए और इसलिए, निर्वाह भत्ते की वसूली के लिए दिनांकित 13.08.2007 आदेश को रद्द कर दिया गया था। स्वाभाविक रूप से, सेवा में प्रार्थना या बहाली को अस्वीकार कर दिया गया था।

/

/

5. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संगठन दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 की ओ. ए. संख्या 653 में न्यायाधिकरण के आदेश पर हमला किया। प्रतिवादी संगठन ने डब्ल्यू. पी. दायर किया। (ग) सं. 4918/2008, अनिवार्य रूप से 2007 के O. A. No.653 में आदेश को चुनौती देते हुए इसमें अपीलार्थी की बर्खास्तगी के आदेश के पूर्वव्यापी प्रभाव को समाप्त करने और आदेश की तारीख से ही इसके प्रभाव को सीमित करने की सीमा तक।, 11.08.2007 और निर्वाह भत्ते की वसूली को रोकना। इसमें अपीलार्थी ने डब्ल्यू. पी. दायर की। (ग) बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने और सेवा में उनकी बहाली का आदेश देने की अनिच्छा से व्यथित 2008 का No.33421। उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. (ग) आक्षेपित निर्णय के अनुसार 2008 का No.33421 और इसलिए, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि बाद में, दिनांक 16.02.2009 के निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. (ग) प्रत्यर्थी संगठन द्वारा दायर 2008 का No.4918 और इसके परिणामस्वरूप, 2007 के O. A. No.653 में न्यायाधिकरण के आदेश को प्रभावी बनाते हुए और उसी तारीख से बर्खास्तगी के आदेश के प्रभाव की तारीख को संशोधित करते हुए 31.05.2010 का आदेश जारी किया गया था।

/

/

/

6. सुना गया, श्री गोपाल शंकरनारायणन, अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री शैलेश मडियाल, प्रतिवादी Nos.1 से 4 के लिए विद्वान वकील।

/

7. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 के खंड (iii) के अंतर्गत शक्ति का आह्वान करते हुए 'सी. सी. ए. नियमों' में प्रदान किए गए तरीके से बिना किसी जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जो इस प्रकार है:-

“16. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया ए

/

781

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

नियम 11 से 15 में कुछ भी निहित होने के बावजूद -

(i) जहां किसी कर्मचारी पर आचरण के आधार पर कोई जुर्माना लगाया जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; या

/

((ख) जहां अनुशासनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट किया जाता है कि इन नियमों में दिए गए तरीके से जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है; या

((ग) जहां राष्ट्रपति का यह समाधान हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों में दिए गए तरीके से कोई जांच करना समीचीन नहीं है,

/

अनुशासनात्मक प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे: बशर्ते कि कर्मचारी को खंड (i) के अंतर्गत किसी मामले में कोई आदेश दिए जाने से पहले लगाए जाने वाले प्रस्तावित जुर्माने पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जा सकता है:

/

बशर्ते कि इस नियम के अंतर्गत किसी भी मामले में कोई आदेश दिए जाने से पहले आयोग से परामर्श किया जाएगा, जहां इस तरह का परामर्श आवश्यक है। "

/

8. पूर्व-उद्धृत प्रावधान और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक का एक नंगे अवलोकन निस्संदेह यह दर्शाता है कि पहला वस्तुतः एक सेवा नियम है जो दूसरे परंतुक को लगभग पूरी तरह से दोहराता है, हालांकि उपयोग की गई भाषा समान नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी के अनुसार भी, सी. सी. ए. नियमों का नियम 16 (iii) भारत के संविधान के

अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (सी) के समान है। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, उपरोक्त शक्ति का उपयोग करते हुए अपीलार्थी की सेवा से बर्खास्तगी को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया था और इसे उच्च न्यायालय से अनुमोदन की मुहर भी मिल गई थी। इसलिए, प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के हाथों आगे न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। अनुच्छेद 311 (2) के अंतर्गत जनादेश का पालन करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन की गैर-आवश्यकता के संबंध में स्थिति।, ऐसी जाँच करना जिसमें अनुच्छेद 311 (1) में निर्दिष्ट सिविल पद धारण करने वाला व्यक्ति

/

/

/

782

/

[2023] 5 एस सी आर।

उनके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गया जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का दूसरा परंतुक बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी के मामले में लागू होता है और ऐसी स्थिति में अन्य पहलुओं पर इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया है।

भारत और ए. एन. आर. वी. तुलसीराम पटेल और अन्य। **1.** कानूनों की व्याख्या

/

इसके तहत ऐसे पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा कई बार दोहराया गया है। तुलसीराम पटेल के मामले (उपर्युक्त) में निर्णय से यह स्थिति प्रकट होगी कि अनुच्छेद 311 (2) के अंतर्गत जनादेश का अनुपालन और उस संबंध में, एक सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाले आरोपों पर आरोप पत्र जारी करना और सुनवाई, उस पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित तीन प्रमुख दंडों में से किसी के संबंध में, अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक का खंड (सी) लागू होने पर उत्पन्न नहीं होगा और दूसरे परंतुक को पूरी तरह या आंशिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने वाले सेवा नियमों के मामले में यही स्थिति होगी और क्या उपयोग की गई भाषा दूसरे परंतुक में उपयोग की गई भाषा के समान है या नहीं।

/

9. तुलसीराम पटेल के मामले (उपर्युक्त) में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक का खंड (सी) सार्वजनिक नीति पर आधारित है और सार्वजनिक हित में और सार्वजनिक भलाई के लिए है और अनुच्छेद 311 (2) को शामिल करने वाले संविधान निर्माता यह तय करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे कि क्या ऐसा बहिष्कृत प्रावधान होना चाहिए और किन स्थितियों में यह प्रावधान लागू होना चाहिए। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधि निर्धारित किया गया था

/

/

डिवीजनल कार्मिक अधिकारी, दक्षिणी रेलवे में निर्णय में नीचे।

एन. आर. वी.टी. आर. चेल्लप्पन 2 ने कहा कि रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 14 (1) के अंतर्गत "अनुशासनात्मक प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे" वाक्यांश के संदर्भ में उपयोग किए गए शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए, कि एक वस्तुनिष्ठ विचार तभी संभव है जब "अपराधी कर्मचारी को सुना जाए और उसे उक्त प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के बारे में प्राधिकरण को संतुष्ट करने का मौका दिया जाए" स्वीकार्य नहीं है। अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक में "यह खंड लागू नहीं होगा" वाक्यांश के संदर्भ में यह माना गया था कि इसमें दूसरे परंतुक में प्रमुख शब्द शामिल हैं और वे इसके प्रत्येक खंड को नियंत्रित करेंगे और अंततः यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह वाक्यांश किसी भी प्रकार के अवसर के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। यह भी माना गया कि यह जांच कराने के दोनों अधिकारों को छीन लेगा जिसमें सरकारी कर्मचारी आरोप पत्र का हकदार होगा।

/

/

1 (1985) 3 एससीसी 398 2 1976 3 एससीसी 190 ए

/

783

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

और प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी। तुलसीराम पटेल और अन्य (उपर्युक्त) मामले में, इस न्यायालय ने आगे कहा कि "राज्य की सुरक्षा का हित" वास्तविक कृत्यों या यहां तक कि इस तरह के कृत्यों के होने की संभावना से प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि, जैसा भी मामला हो, राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करने की समीचीनता या अयोग्यता और ऐसी जांच के संबंध में होनी चाहिए जिसमें इस तरह के कार्य से संवेदनशील जानकारी का

खुलासा होगा और जानकारी का उपयोग भी होगा और इसलिए इन कृत्यों की ऐसी जांच राज्य की सुरक्षा के हित के लिए उतनी ही प्रतिकूल होगी जितनी उन कृत्यों से होगी।

/

10. जिन प्रासंगिक पाठों में संविधान पीठ ने तुलसीराम पटेल के मामले (उपरोक्त) में विधि की उपरोक्त स्थिति का अवलोकन किया और निर्धारित किया, वे नीचे दिए गए हैं:-

/

“59. इसलिए, स्थिति यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की खुशी का उपयोग उनमें से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से करने की आवश्यकता नहीं है, और यह वास्तव में अनुच्छेद 311 की भाषा से स्पष्ट है। उस अनुच्छेद के खंड (1) के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी को उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता है जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से बर्खास्त करने या हटाने की शक्ति का प्रयोग किया जाना है तो नियुक्ति प्राधिकारी के बराबर या उच्च पद के प्राधिकारी का प्रश्न नहीं उठ सकता है। अनुच्छेद 311 के दूसरे परंतुक का खंड (बी) समान रूप से यह स्पष्ट करता है कि जब उसके द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने, हटाने या पद में कमी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को जांच करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो ऐसे मामले में जहां ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज की जाने के लिए, ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि यदि यह राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि थी, तो किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने या पद से हटाने या पद में कमी करने के लिए सशक्त किसी भी प्राधिकारी की संतुष्टि का प्रश्न नहीं उठेगा। इस प्रकार, हालांकि अनुच्छेद 310 (1) के अंतर्गत एक सरकारी कर्मचारी का कार्यकाल राष्ट्रपति या राज्यपाल की खुशी में होता है, इस तरह की खुशी का प्रयोग या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है जो सहायता के साथ और मंत्रिपरिषद की सलाह पर या अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों में निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा या ऐसे नियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों में कार्य कर सकता है।

/

/

/

/

/

अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत अधिनियम या किए गए; और अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (सी) के मामले में, जांच राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि पर नहीं बल्कि सहायता और मंत्रिपरिषद की सलाह पर उनकी संतुष्टि पर की जानी चाहिए।”

“101..... जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुच्छेद 311 का खंड (2) स्पष्ट शब्दों में ऑडी अल्टरम पार्टम नियम का प्रतीक है। प्राकृतिक न्याय के इस सिद्धांत को एक संवैधानिक प्रावधान, अर्थात् अनुच्छेद 311 के खंड (2) के दूसरे परंतुक द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, इसलिए इसे एक बार फिर वही जांच प्रदान करने के लिए एक साइड-डोर द्वारा फिर से पेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिसे संवैधानिक प्रावधान ने स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया है। जहां दूसरे परंतुक का कोई खंड किसी बाहरी आधार या ऐसे आधार पर लागू किया जाता है जिसका उस खंड में परिकल्पित स्थिति से कोई संबंध नहीं है, तो इसे लागू करने की कार्रवाई दुर्भाविनापूर्ण होगी, और इसलिए, शून्य होगी। ऐसे मामले में अमान्य करने वाला कारक अनुच्छेद 14 के लिए संदर्भित किया जा सकता है। हालाँकि, दूसरे परंतुक के संबंध में अनुच्छेद 14 का केवल यही दायरा हो सकता है, लेकिन यह अभिनिर्धारित करना कि एक बार दूसरे परंतुक को ठीक से लागू करने और अनुच्छेद 311 के खंड (2) को बाहर करने के बाद, अनुच्छेद 14 खंड (2) का स्थान लेने के लिए कदम उठाएगा, दूसरे परंतुक के शुरुआती शब्दों के प्रभाव को रद्द करना और इस तरह संविधान निर्माताओं के इरादे को विफल करना होगा।

/

/

/

/

“114. जहाँ तक चलप्पन मामले का संबंध है, इस दृष्टिकोण के साथ कोई दोष खोजना संभव नहीं है कि न तो अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक का खंड (ए) और न ही रेलवे सेवक नियमों के नियम 14 का खंड (आई) अनिवार्य है या उन विचारों के साथ जो निर्णय में निर्धारित किए गए हैं कि किसी अपराधी सरकारी कर्मचारी पर जुर्माना लगाने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले विचार हैं। जहां अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के तीन खंडों में से एक में या एक समान सेवा नियम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह अनिवार्य नहीं है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी पर बर्खास्तगी, हटाने या पद में कमी का बड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जुर्माना जो लगाया जा सकता है वह कोई अन्य बड़ा जुर्माना या मामूली जुर्माना भी हो सकता है।

/

/

/

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सा जुर्माना लगाया जाना चाहिए, अनुशासनात्मक प्राधिकरण को चलप्पन मामले में निर्धारित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होगा। हालाँकि, अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के अलावा और रेलवे कर्मचारी नियमों के नियम 14 पर अलग से विचार करने में चलप्पन मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होना संभव नहीं है, और न ही नियम 14 के अंतिम भाग में 'विचार' शब्द पर उसके द्वारा दी गई व्याख्या से। न तो रेलवे सेवक नियमों के नियम 14 और न ही अन्य सेवा नियमों में इसी तरह के नियम को अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के अलावा देखा जा सकता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने और सरकारी कर्मचारी पर जुर्माना लगाने का किसी विशेष अधिकारी का अधिकार अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत या उस अनुच्छेद के लिए संदर्भित अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों से प्राप्त होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, ये नियम राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की खुशी को बाधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे अनुच्छेद 310 (1) के अधीन हैं। समान रूप से, वे अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का प्रतिबंध उन खंडों के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इसी तरह, वे अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के बहिष्करण प्रभाव को प्रतिबंधित नहीं कर सकते क्योंकि वह अनुच्छेद 310 (1) के अंतर्गत आनंद के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना होगा जो उस खंड के दूसरे परंतुक के संचालन के कारण अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से निशुल्क हो गया है। केवल वे मामले जिनमें एक सरकारी कर्मचारी को अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा अनुध्यात जांच किए बिना सजा के रूप में बर्खास्त, हटाया या रैंक में कम किया जा सकता है, वे तीन मामले हैं जिनका उल्लेख उस खंड के दूसरे परंतुक में किया गया है।

/

/

/

/

/

“...इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपने सामान्य और स्वाभाविक अर्थों में 'विचार' शब्द चलप्पन मामले में इसे दिए गए अर्थ में सक्षम नहीं है। नियम 14 के अंतर्गत एक अपराधी रेलवे कर्मचारी पर कौन सा जुर्माना लगाया जाना चाहिए, इस पर विचार एकतरफा होना चाहिए और जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जो जुर्माना या तो बर्खास्तगी या पद में कमी को हटाने का है, तो इसके लिए कोई अवसर नहीं है।

/

/

786 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

उस पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित दंड के खिलाफ कारण दिखाना अपराधी सरकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है। निस्संदेह, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जैसा कि चलप्पन मामले में निर्धारित किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है, अनुच्छेद 311 (2) का दूसरा परंतुक लागू होने पर किसी सरकारी कर्मचारी पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित जुर्माने के संबंध में सुनवाई की आवश्यकता वाले निष्पक्ष व्यवहार और न्याय के बारे में विचार नहीं किया जाता है और दूसरे परंतुक को पूरी तरह या आंशिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने वाले सेवा नियम के मामले में भी यही स्थिति होगी और क्या उपयोग की गई भाषा दूसरे परंतुक में उपयोग की गई भाषा के समान है या नहीं। ऐसे कई आदेश हैं जो आवश्यक रूप से उस पक्ष को सुने बिना पारित किए जाते हैं जो उनसे प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, विधि की अदालतें दूसरे पक्ष को कोई नोटिस जारी किए बिना या उसे सुने बिना वादी, याचिकाकर्ता या अपीलार्थी के आवेदन पर एकतरफा अंतरिम आदेश पारित कर सकती हैं और अक्सर करती हैं। इसलिए क्या यह तर्क दिया जा सकता है कि न्यायाधीश या न्यायाधीशों ने, जैसा भी मामला हो, इस तरह का आदेश पारित करते समय अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया?

/

/

/

"115. इसलिए, चलप्पन मामले में निर्णय रेलवे कर्मचारी नियमों के नियम 14 पर उसके द्वारा की गई व्याख्या के संबंध में और विशेष रूप से उस नियम के अंतिम भाग में आने वाले 'विचार' शब्द पर और नियम 14 की व्याख्या करने में सही नहीं है, न कि अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के संयोजन में। चलप्पन मामले से अलग होने से पहले, हम यह भी बता सकते हैं कि मामला कभी नहीं चला। उस मामले में निर्णय 15 सितंबर, 1975 को दिया गया था और इसे (1976) 1 एस. सी. आर. में पृष्ठ 783 एफ. एफ. * पर रिपोर्ट किया गया था। शायद ही वह मामला तब अपीलों के अगले समूह में दर्ज किया गया था जिसमें वही प्रश्न उठाया गया था, अर्थात्, पहले उल्लिखित तीन दीवानी अपीलों में, 18 नवंबर, 1976 को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने का आदेश दिया गया था। इसलिए, चलप्पन मामले की शुद्धता पर शुरू से ही संदेह था। "

/

/

/

“126. जैसा कि पहले बताया गया है, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने और जांच को समाप्त करने के लिए एक विशेष अधिकारी के अधिकार का स्रोत सेवा नियमों ए से प्राप्त होता है।

/

787

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

जबकि अनुशासनात्मक जाँच को समाप्त करने की उनकी शक्ति का स्रोत अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक से प्राप्त होता है। जब तक विधि में ऐसी शक्ति मौजूद नहीं है, तब तक किसी शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता है। यदि ऐसी शक्ति विधि में मौजूद नहीं है, तो इसका कथित प्रयोग एक गैर-मौजूद शक्ति का प्रयोग होगा और शून्य होगा। इसलिए, किसी शक्ति का प्रयोग हमेशा ऐसी शक्ति के स्रोत के लिए संदर्भित होता है और इसके साथ संयोजन में विचार किया जाना चाहिए। चलप्पन मामले में न्यायालय का ध्यान विधि की रूप से इस तथ्य स्थिति की ओर नहीं खींचा गया था और इसलिए रेलवे सेवक नियमों के नियम 14 पर विचार करने में और अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक को ध्यान में रखे बिना गलती की गई थी। यह भी अच्छी तरह से तथ्य किया गया है कि जहां शक्ति का कोई स्रोत मौजूद है, ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उस स्रोत के लिए संदर्भित है और किसी अन्य स्रोत के लिए नहीं जिसके अंतर्गत उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऐसी शक्ति का प्रयोग अमान्य और अधिकार क्षेत्र के बिना होगा। इसी तरह, यदि दो प्रावधानों, चाहे वे वैधानिक हों या संवैधानिक, को एक साथ पढ़कर शक्ति का कोई स्रोत मौजूद है, और आदेश उनमें से केवल एक को संदर्भित करता है, तो आदेश की वैधता को उन दोनों प्रावधानों के अंतर्गत पारित आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी गलत प्रावधान का उल्लेख या उस प्रावधान का उल्लेख करने में चूक जिसमें शक्ति का स्रोत शामिल है, उस आदेश को अमान्य नहीं करेगा जहां ऐसी शक्ति का स्रोत मौजूद है। (डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य और अहमदाबाद शहर के नगर निगम बनाम बेन हीराबेन मणिलाल) आक्षेपित आदेशों में दूसरे परंतुक के प्रासंगिक खंड या प्रासंगिक सेवा नियम का उल्लेख करने में चूक, इसलिए, आदेशों को अमान्य करने का प्रभाव नहीं डालेगी और आदेशों को प्रासंगिक सेवा नियम के साथ पठित अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के लागू खंड के अंतर्गत किए गए आदेशों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ”

/

/

/

11. पैराग्राफ 144 में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:-

/

“144. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि खंड (ग) द्वारा जो अपेक्षित है वह यह है कि जाँच का आयोजन राज्य की सुरक्षा के हित में समीचीन नहीं होना चाहिए न कि किसी सरकारी कर्मचारी के वास्तविक आचरण के लिए जो जाँच का विषय होगा। यह प्रस्तुति जहाँ तक सही है

/

788 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

लेकिन यह इस बात की अनदेखी करता है कि राज्य की सुरक्षा के हित को प्रभावित करने वाले कार्यों की जांच में, कई मामले सार्वजनिक किए जाने के लिए उपयुक्त या उचित नहीं हैं, जिनमें एक सरकारी कर्मचारी से जुड़ी जानकारी का स्रोत भी शामिल है। ऐसे कृत्यों का खुलासा किया जाएगा और इस प्रकार ऐसे मामलों में राज्य की सुरक्षा के हित के लिए प्रतिकूल कृत्यों की जांच राज्य की सुरक्षा के हित को उतना ही प्रभावित करेगी जितना कि वे कार्य करेंगे। ”

/

12. भारत संघ बनाम बीर सिंह **3** के मामले में इस न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

पैराग्राफ 7 में ए. के. कौल बनाम भारत संघ **4** में पहले के निर्णय का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है:-

/

“7. ए. के. कौल बनाम भारत संघ [(1995) 4 एस. सी. सी. 73 के मामले में: 1995 एससीसी (एल एंड एस) 922: (1995) 30 ए. टी. सी. 174] इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक खंड (सी) के अंतर्गत पारित बर्खास्तगी के आदेश के संबंध में अनुमेय न्यायिक समीक्षा की सीमा की जांच की है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की जांच एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ [(1994) 3 एस. सी. सी. 1] में निर्धारित सीमाओं के भीतर की जा सकती है। राष्ट्रपति के आदेश की जांच यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि क्या यह दुर्भावना से दूषित है या पूरी तरह से बाहरी और/या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित है। हालाँकि, न्यायालय आदेश पर अपील में नहीं बैठ सकता है, या राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए अपनी संतुष्टि को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। जब तक राष्ट्रपति के समक्ष ऐसी सामग्री है जो अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खंड (सी) के

अंतर्गत की जा रही कार्रवाई के बारे में उनकी संतुष्टि के लिए प्रासंगिक है, तब तक न्यायालय इस तरह से पारित आदेश से बाध्य होगी। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (सी) के अंतर्गत आदेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश को गिना है। न्यायालय ने कहा है कि (1) आदेश दुर्भावनापूर्ण आधार पर या पूरी तरह से बाहरी और/या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित होने के आधार पर चुनौती देने के लिए खुला होगा; (2) भले ही कुछ सामग्री जिस पर कार्रवाई की जाती है वह अप्रासंगिक पाई जाती है, तब भी न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि कार्रवाई को बनाए रखने के लिए कुछ प्रासंगिक सामग्री है; (3) आदेश की सच्चाई या शुद्धता।

/

/

/

/

3 (1998) 5 एससीसी 216 4 (1995) 4 एससीसी 73 ए

/

789

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

न्यायालय द्वारा सामग्री पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और न ही वह सामग्री की पर्याप्तता में जाएगी और यह राष्ट्रपति के लिए अपनी राय का स्थान नहीं लेगी; (4) दुर्भावनापूर्ण आधार, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी स्थितियों में जहां घोषणा को सत्ता के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला पाया जाता है या जिसे कभी-कभी सत्ता पर धोखाधड़ी कहा जाता है; (5) न्यायालय हल्के में शक्ति के दुरुपयोग या दुरुपयोग का अनुमान नहीं लगाएगी और इस तथ्य के लिए छूट देगी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् स्थिति के सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं और उनके पास जानकारी और सामग्री भी है और संविधान ने मामले में अपने निर्णय पर भरोसा किया है; (6) इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् मामले में अंतिम मध्यस्थ हैं। (सी. एफ. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाम मोहिंदर सिंह [(1997) 3 एस. सी. सी. 68:1997 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 633])”

/

/

13. इसके पैराग्राफ 8 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था:-

/

“8. यदि अनुच्छेद 311 (2) परंतुक (ग) के अंतर्गत पारित किसी आदेश को न्यायालय के समक्ष इस आधार पर विधि किया जाता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि उन परिस्थितियों पर आधारित नहीं है जिनका राज्य की सुरक्षा पर असर पड़ता है, तो न्यायालय उन परिस्थितियों की जांच कर सकती है जिन पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि आधारित है और यदि उसे लगता है कि उक्त परिस्थितियों का राज्य की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं है, तो न्यायालय यह मान सकती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि जो इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए आवश्यक है, पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक विचारों से दूषित हो गई है।”

14. भारत संघ बनाम एम. एम. शर्मा 5 के निर्णय में, यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (सी) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जांच के बिना बर्खास्तगी के लिए जांच करने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य की सुरक्षा के हित में अभिलेख को समाप्त करने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण हैं। इसके पैराग्राफ 28 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उपखंड (ए), (बी) और (सी) के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष और असाधारण शक्तियां होने के कारण अनुशासनात्मक प्राधिकरण की ओर से कोई बाध्यता नहीं थी -

5 (2011) 11 एससीसी 293

790

[2023] 5 एस सी आर।

बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने के कारणों को बताएँ न कि किसी अन्य दंड को।

15. पैराग्राफ 30 में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था:-

“30. यदि संविधान के अधिदेश के संदर्भ में, राज्य की सुरक्षा से जुड़े हितों को ध्यान में रखते हुए आरोप के संचार और जांच के आयोजन को समाप्त किया जा सकता है, तो समान रूप से उन्हीं कारणों से संतोष पर पहुंचने के कारणों को संप्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है कि

अपराधी अधिकारी पर बर्खास्तगी का अत्यधिक दंड क्यों लगाया जाता है। इसलिए, उच्च न्यायालय आक्षेपित आदेश पारित करने में न्यायोचित नहीं था। "

/

/

16. सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 के खंड (iii) के अंतर्गत प्रावधानों को ध्यान से देखने के बाद, हम पहले ही पा चुके हैं, जैसा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से पाया गया है, कि उक्त प्रावधान एक सेवा नियम है जो वस्तुतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (सी) को पुनः प्रस्तुत करता है, हालांकि उपयोग की गई भाषा समान नहीं है। हमने यह भी नोट किया है कि अपीलार्थी ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि नियम 16 (iii) अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के खंड (ग) के साथ समान सामग्री में है। जब एक बार ऐसा पाया जाता है, तो तुलसीराम पटेल और अन्य (उपरोक्त) में तय की गई स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है और बाद के निर्णयों में दोहराया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना, यानी आरोप पत्र जारी करने के बाद जांच करना और उन आरोपों पर सरकारी कर्मचारी को सुनवाई प्रदान करना, उपरोक्त तीन प्रमुख दंडों में से किसी को भी लागू करने के प्रस्ताव के मामले में तब उत्पन्न नहीं होगा जब सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के अंतर्गत शक्ति का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त निर्णयों से इस प्रकार प्रकट विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 के खंड (iii) के अंतर्गत शक्ति के आह्वान में जांच किए बिना विचार करेंगे कि क्या अपीलार्थी को सेवा से हटाने के खिलाफ चुनौती के संबंध में न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है या नहीं।

/

/

/

17. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 के आह्वान खंड (iii) में जांच किए बिना पारित बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखने में गलती की थी। यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि निर्विवाद रूप से इस मामले में 19.12.2003 पर, ए

/

/

भारत सरकार के अवर सचिव ने विभागीय जांच करने के उद्देश्य से अपीलार्थी को सी. सी. ए. नियमों के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आरोपों के लेख और आरोप के बयान के साथ एक ज्ञापन सौंपा, जिसअंतर्गत दो आरोपों का आरोप लगाया गया, अर्थात् (i) बिना अनुमति के पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने के लिए देश छोड़ने के लिए आई. डी. 1 से अनधिकृत अनुपस्थिति और (ii) जुलाई, 2003 के दौरान ए. आई. ए. ए. प्रणोदन सम्मेलन, यू. एस. ए. अंतर्गत एक तकनीकी पत्र का प्रकाशन, जिसअंतर्गत एक विदेशी को सह-लेखकों अंतर्गत से एक के रूप अंतर्गत पहले लेखक के रूप अंतर्गत, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना। तर्क यह है कि अपीलार्थी ने प्रारंभिक सुनवाई में भाग लिया और उसके बाद, मामले को एकतरफा रूप से आगे बढ़ाया गया और उसके बाद जांच रिपोर्ट उसे दी गई और उसकी एक प्रति संघ लोक सेवा आयोग को भी उसकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई, लेकिन उक्त कार्यवाही अपने तार्किक अंत तक नहीं पहुंची थी। दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे अंतिम रूप दिए बिना और यदि अतिरिक्त आरोप पर आगे आरोप जारी करने के लिए बिल्कुल भी आवश्यक हो, तो सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 के खंड (iii) के अंतर्गत शक्तियों का आह्वान करके अपीलार्थी को बिना जांच किए सेवा से बर्खास्त करने के लिए एक शॉर्ट कट को अचानक अपनाया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, यह विधि में अस्वीकार्य है और इसलिए, न्यायाधिकरण और फिर उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश में गैर-हस्तक्षेप को कायम नहीं रखा जा सकता है। यह भी तर्क है कि यह अभिनिर्धारित करने में कोई औचित्य नहीं है कि जांच करने का निर्णय लेने और वास्तव में जांच करने के बाद सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के संदर्भ में जांच करना समीचीन नहीं है। यह भी तर्क है कि इसके विपरीत दिनांकित बर्खास्तगी का आदेश राष्ट्रपति की संतुष्टि को प्रतिबिंबित नहीं करता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, जांच करना समीचीन नहीं है। यह आगे का तर्क है कि हालांकि मामलों के अभिलेख न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए थे, लेकिन इसने सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के अंतर्गत आदेश पारित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय भी उस पहलू की जांच करने में विफल रहा था, हालांकि उक्त बिंदु पर उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया था।

/

/

/

/

/

/

18. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के वकील श्री शैलेश मडियाल ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों की सही सराहना की थी जिनके कारण सी.

सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के अंतर्गत अपीलार्थी को बिना जांच किए सेवा से बर्खास्त करने के लिए शक्ति का आह्वान किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी की दलीलें

/

792

/

[2023] 5 एस सी आर।

यह कि दोहरे विशिष्ट आरोपों के लिए सी. सी. ए. नियमों के नियम 11 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के बाद, (यहां पहले संदर्भित) जांच करने की अयोग्यता को सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के अंतर्गत उन्हें दिनांकित आदेश के अनुसार सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति का आह्वान करने के लिए एक कारण के रूप में नहीं सौंपा जा सकता था और यह कि यह एक छोटा कदम है, इस मामले में प्राप्त निर्विवाद तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल अस्थिर हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. सी. ए. नियमों के नियम 11 के अंतर्गत 19.12.2003 दिनांकित ज्ञापन द्वारा शुरू की गई कार्यवाही और सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के अंतर्गत अपीलार्थी को बर्खास्त करने में समाप्त होने वाली कार्यवाही अलग हैं। नियम 11 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही में, जांच की गई और अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए उचित अवसर भी दिया गया। हालांकि, बाद में गंभीर प्रकृति के अन्य उल्लंघन सामने आए, जिससे अपीलार्थी की ईमानदारी, ईमानदारी, विश्वसनीयता, निर्भरता और विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा हुआ, जो कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संगठन, इसरो के सभी वैज्ञानिकों/इंजीनियरों में अपेक्षित सर्वोत्कृष्ट गुण हैं। प्रत्यर्थी की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी शपथपत्र के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, सी. सी. ए. नियमों के नियम 11 के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए आगे बढ़ने के बजाय सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के अंतर्गत शक्ति का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा गया था, जैसे कि:-

/

/

/

/

- (i) जिस तरह से कोरियाई अधिकारियों ने उसे लगभग दो साल तक पनाह दी थी,
- ((ii) इसके विपरीत आदेशों के बावजूद उनके साथ निरंतर संपर्क और बातचीत,
- (iii) जिस तरह से वह पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों को आप्रवासन अधिकारियों द्वारा जारी लुक आउट नोटिस के बावजूद देश छोड़ने में कामयाब रहा,

/

(iv) आई. एस. आर. ओ. की महत्वपूर्ण रॉकेट प्रौद्योगिकियों के संपर्क में आने से गंभीर जटिलताएं पैदा होंगी, और

/

19. यह और तर्क है कि विशेष रूप से राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संगठन होने के नाते, इसके कर्मचारियों को बिना अनुज्ञात के विदेश जाने और वहां कार्य/अनुसंधान करने की अनुज्ञात नहीं है। वी. एस. एस. सी./आई. एस. आर. ओ. के एक जिम्मेदार वैज्ञानिक/इंजीनियर होने के नाते, अपीलार्थी कर्तव्य ए था।

/

793

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

आचरण नियमों का पालन करने के लिए बाध्य और जब उल्लंघन गंभीर होता है और राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना होती है, तो यह न केवल उचित है, बल्कि अनिवार्य रूप से सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के अंतर्गत प्रावधान के संदर्भ में कार्रवाई को भी आमंत्रित करता है। अपीलार्थी का एक विषय पर विदेशी संस्थान के साथ अनधिकृत संबंध था, जो प्रतिवादी संगठन में एक रणनीतिक अनुसंधान और विकास विषय है और जिसके आधार पर देश के रॉकेट और महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रम आगे बढ़ रहे थे और अनधिकृत विदेशी एजेंसियों को महत्वपूर्ण डेटा के प्रकटीकरण की संदिग्ध परिस्थिति पैदा हो रही थी, यह राज्य की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इस तरह की सभी दलीलों पर विचार करते हुए, प्रत्यर्थी की ओर से 4 तक उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने में सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के अंतर्गत शक्ति का आह्वान न्यायिक समीक्षा के अधीन था, शुरू में न्यायाधिकरण द्वारा और फिर उच्च न्यायालय द्वारा और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा कोई भी मामला नहीं बनाया गया था, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति का आह्वान आगे न्यायिक समीक्षा करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपील खारिज होने योग्य है। 20. मामले में आगे जाने से पहले, केवल अपने बारे में अपीलार्थी के अपने अनुमान का उल्लेख करना उचित है। अपीलार्थी के अनुसार, वह एक हाई-प्रोफाइल वैज्ञानिक है जो रॉकेट प्रणोदन में विशेषज्ञता के साथ नासा वैज्ञानिक के बराबर सिद्ध प्रमाणों के साथ है। वह आगे कहेंगे कि वह अंतरिक्ष कार्यक्रम में किसी से पीछे नहीं हैं और उनके पास इसरो के अध्यक्ष बनने की पूरी क्षमता है और वे तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष के पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। 21. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता स्वयं जानता था कि वह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अत्यधिक संवेदनशील और रणनीतिक अनुसंधान और विकास संगठन, इसरो में एक उच्च-प्रोफाइल वैज्ञानिक है। हमारा विचार है कि न्यायालय एक द्वीप नहीं हो सकता है और इसरो से जुड़े एक वैज्ञानिक/इंजीनियर की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसरो

की भूमिका से अनजान नहीं हो सकता है। जाहिर है, यह भारत के लिए बाहरी अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शामिल है। अब, हम इस मामले में प्राप्त प्रासंगिक निर्विवाद और निर्विवाद तथ्यों को निकालेंगे। अपीलार्थी वी. एस. एस. सी., आई. एस. आर. ओ. के तिरुवनंतपुरम में एक वैज्ञानिक/इंजीनियर है। एक साल के लिए विश्राम अवकाश के लिए आवेदन करने के बाद और जब सक्षम प्राधिकारी ने सेवा की आवश्यकता में छुट्टी की सिफारिश नहीं करने का फैसला किया, तो उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर 21.08.2003 से 29.08.2003 तक नौ दिनों के अर्जित अवकाश के लिए आवेदन किया और फिर दक्षिण कोरिया चले गए। उस पर

/

/

/

/

/

/

/

794

/

[2023] 5 एस सी आर।

दक्षिण कोरिया पहुँचकर, दिनांक 01.09.2003 ई-मेल के माध्यम से, अपीलार्थी ने वी. एस. एस. सी. में अपने संभागीय प्रमुख को दक्षिण कोरिया में अपने पोस्ट-डॉक्टरल शोध को पूरा करने और प्रो.एच. डी. किम, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रमुख, एंडोंग नेशनल यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया। हालांकि उनके आवेदन दिनांक 18.07.2003 को मंजूरी नहीं दी गई थी, एक अन्य ई-मेल के माध्यम से, उन्होंने 01.09.2003 से 28.11.2003 तक 89 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया और यह सूचित किए जाने के बावजूद दक्षिण कोरिया में रहना जारी रखा कि उनकी छुट्टी को मंजूरी नहीं दी गई थी और उन्हें 11.09.2003 के बाद ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना आवश्यक था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया जाने से पहले, उन्होंने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त किए बिना, 39 वें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स (ए. आई. ए. ए.) संयुक्त प्रणोदन सम्मेलन, यू. एस. ए. में सह-लेखकों में से एक के रूप में एक विदेशी के साथ पहले लेखक के रूप में एक तकनीकी पत्र प्रकाशित किया था। हालांकि वह इस बात की पूरी जानकारी के साथ कि विश्राम अवकाश के लिए उनके आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई थी, आई. डी. 1 पर फिर से ड्यूटी में शामिल हो गए, लेकिन वे मार्च

2004 में संगठन को जानकारी दिए बिना और अनुमति प्राप्त किए बिना दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गए। वह 18.05.2004 पर फिर से ड्यूटी में शामिल हो गया और फिर, अधिकारियों की अनुमति के बिना 28.05.2004 पर दक्षिण कोरिया वापस चला गया। उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं से पता चलता है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपीलार्थी दक्षिण कोरिया गया, एंडोंग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया में शामिल हुआ और प्रो. एच. डी. किम, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रमुख और रॉकेटी पर अनुसंधान में शामिल उक्त विदेशी संस्थान के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा, जो कि इसरो में एक रणनीतिक अनुसंधान और विकास विषय है। प्रासंगिक स्थिति में, अनुलग्नक पी1 और पी4 का उल्लेख करना प्रासंगिक है। प्रो. का दिनांकित 28.08.2002 का अनुलग्नक-P1 पत्र। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एच. डी. किम स्वयं प्रो. के प्रयोगशाला में शोध परियोजना की प्रकृति को प्रकट करेंगे। एच. डी. किम और अनुलग्नक पी4 अपीलार्थी को बार-बार दी गई सलाह का खुलासा करेंगे कि भविष्य में किसी भी बाहरी एजेंसी, जैसे कि एंडोंग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया, के साथ इसरो में उपयुक्त अधिकारियों की अनुमति के बिना कोई संपर्क न करें। आगे के निर्विवाद तथ्य इस तरह के निर्देशों की अनदेखी करते हुए उस विश्वविद्यालय के साथ उनके लगातार व्यवहार को प्रकट करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में, एक विदेशी एजेंसी/विश्वविद्यालय के साथ उनका निरंतर जुड़ाव, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वे भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अत्यधिक संवेदनशील और रणनीतिक अनुसंधान और विकास संगठन, इसरो में एक जिम्मेदार वैज्ञानिक हैं, अगर उन्हें संदिग्ध रूप से देखा जाए और सोचा जाए कि इसरो की महत्वपूर्ण रॉकेट प्रौद्योगिकियों के साथ उनके संपर्क में आने से गंभीर जटिलताएं पैदा होंगी, तो इसे ए नहीं कहा जा सकता है।

/

/

/

/

/

/

/

/

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

सारहीन और राज्य की सुरक्षा के संबंध में चिंता का विषय नहीं। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, विशेष शाखा में अपीलार्थी की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए और यह कि वह 1992 से इसरो के अंतर्गत काम कर रहा है, उस अनुभव के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है जो उसने इस विषय

में इसरो से एकत्र किया था और ऐसी परिस्थितियों में बिना पूर्व अनुमति के विदेश चले गए और वापस आने की सलाह और निर्देशों के बावजूद काफी लंबे समय तक वहाँ बने रहे और रॉकेट पर शोध करने वाले ऐसे विदेशी संगठन/विश्वविद्यालय के साथ जुड़ना जारी रखा, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संगठन ने अपनी ईमानदारी, अखंडता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता और विश्वसनीयता पर संदेह का मनोरंजन करने में कोई दोष या गलती की है और सबसे बढ़कर इस तरह के कार्यों को राज्य की सुरक्षा के संबंध में चिंता का विषय माना है।

/

/

22. सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) में यह समझने के लिए किसी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है कि इसमें दो अंग हैं। सबसे पहले, इसे आकर्षित करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होती है कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" सी. सी. ए. नियमों में दिए गए तरीके से कोई जांच करना समीचीन नहीं है। दूसरा अंग अनुशासनात्मक प्राधिकारी को मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करने और उस पर ऐसे आदेश देने में सक्षम बनाता है, जो वह उचित समझता है। सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के प्रावधान के आह्वान के मामले में, राष्ट्रपति के इस संतोष पर जांच किए बिना कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" सी. सी. ए. नियमों में दिए गए तरीके से कोई भी जांच करना समीचीन नहीं है, अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने का दिनांकित आदेश पारित किया गया था। इसलिए, पहला प्रश्न यह है कि क्या "राज्य की सुरक्षा के हित में" किसी भी जांच को आयोजित करना समीचीन नहीं है, इस संतुष्टि के आधार पर जांच के साथ वितरण हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है। इसके उत्तर के अधीन इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या बर्खास्तगी का आदेश हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है।

/

/

/

23. तुलसीराम पटेल के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 126 से पता चलेगा कि संविधान पीठ, सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) के प्रावधान पर विचार करते समय, अर्थात्, रेलवे सेवक नियम के नियम 14 में त्रुटि पाई गई क्योंकि इस मुद्दे पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान को ध्यान में रखे बिना नियम 14 तक ही सीमित रहकर विचार किया गया था। यह देखने के बाद कि शक्ति का प्रयोग हमेशा संदर्भित होता है

/

/

ऐसी शक्ति के स्रोत पर विचार किया जाना चाहिए और यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में जांच को समाप्त करने की शक्ति का स्रोत अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक से प्राप्त होता है। उक्त अवलोकन और धारणा को ध्यान में रखते हुए हमने प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर सावधानीपूर्वक विचार किया है जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा आगे न्यायिक समीक्षा की गई थी। हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि न्यायाधिकरण के आदेश के केवल अवलोकन से यह पता चलेगा कि न्यायाधिकरण ने इस प्रश्न पर विचार केवल सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 (iii) तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (ii) के दूसरे परंतुक से प्राप्त शक्ति के स्रोत को भी ध्यान में रखा था। जाहिर है, इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या सी. सी. ए. नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई जांच करना समीचीन है और "राज्य की सुरक्षा के हित" के आधार पर इसकी समीचीनता या अयोग्यता के बारे में संतुष्टि प्राप्त की जानी चाहिए। तुलसीराम पटेल के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ ने 'राज्य की सुरक्षा' अभिव्यक्ति के अर्थ और दायरे पर विचार किया है। यह देखा गया कि विभिन्न अधिनियमों में "कानून और व्यवस्था", "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राज्य की सुरक्षा" शब्दों का उपयोग किया गया है। "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ "कानून और व्यवस्था" को प्रभावित करने वाली स्थितियों की तुलना में गंभीर होती हैं और "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने वाली स्थितियों की तुलना में गंभीर होती हैं। इसलिए यह देखा गया और माना गया कि इन सभी स्थितियों में "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ सबसे गंभीर हैं। "राज्य की सुरक्षा" शब्द का अर्थ पूरे देश या पूरे राज्य की सुरक्षा नहीं है और इसमें राज्य के हिस्से की सुरक्षा शामिल है। इसके अलावा, यह माना गया कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे "राज्य की सुरक्षा" प्रभावित हो सकती है जैसे कि राज्य के रहस्यों या रक्षा उत्पादन से संबंधित जानकारी या इसी तरह के मामलों को अन्य देशों को दिया जाना, चाहे वह हमारे देश के लिए शत्रुतापूर्ण हो या नहीं, या आतंकवादियों के साथ गुप्त संबंधों द्वारा। यह भी माना गया कि "राज्य की सुरक्षा" प्रभावित होने के विभिन्न तरीकों की गणना करना मुश्किल होगा और "राज्य की सुरक्षा" प्रभावित होने का तरीका या तो खुला या गुप्त हो सकता है। तुलसीराम पटेल के मामले (ऊपर) के अनुच्छेद 142 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था:

/

/

/

/

/

/

“142. तथापि, खंड (ग) के अधीन प्रश्न यह नहीं है कि राज्य की सुरक्षा प्रभावित हुई है या नहीं, क्योंकि खंड (ग) अंतर्गत प्रयुक्त अभिव्यक्ति "राज्य की सुरक्षा के हित अंतर्गत " है।” राज्य की सुरक्षा का हित वास्तविक कृत्यों या ऐसे कृत्यों की संभावना से भी प्रभावित हो सकता है।

/

797

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [सी. टी. रविकुमार, जे. ए.

हो रहा है। इसके अलावा, खंड (ग) के अंतर्गत जो आवश्यक है वह राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि नहीं है, जैसा भी मामला हो, कि राज्य की सुरक्षा का हित प्रभावित हुआ है या होगा, लेकिन उनका संतोष है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, अनुच्छेद 311 (2) द्वारा अनुध्यात जांच करना समीचीन नहीं है। इसलिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच आयोजित करने की समीचीनता या अयोग्यता के संबंध में होनी चाहिए।

/

(जोर दिया गया)

/

24. हम पहले ही इस मामले में प्राप्त निर्विवाद और निर्विवाद तथ्यों पर ध्यान दे चुके हैं जो राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करने की समीचीनता या अयोग्यता के संबंध में प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं।” अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से अनुमानित स्थितियों को देखते हुए, हम यह मानने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि यह संतोष कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" जांच करना समीचीन नहीं है, बिना किसी सामग्री के किया गया था। जब एक बार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संतोष पर पहुंचने में सक्षम सामग्री पर आधारित परिस्थितियां कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" जांच करना समीचीन नहीं है, तो यह निर्णय यह मानते हुए उपलब्ध होता है कि "राज्य की सुरक्षा के हित में" जांच करना अनुचित है, जिससे आगे जांच की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे न्यायिक समीक्षा के अधीन होना उचित नहीं है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय, ऐसी परिस्थितियों में, जांच को समाप्त करने की समीचीनता या अयोग्यता पर निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि यह सामग्री के आधार पर राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर किया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों में, हम उपरोक्त मुद्दे पर न्यायाधिकरण और फिर उच्च न्यायालय की ओर से अनिच्छा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

/

/

/

25. उपरोक्त निष्कर्ष हमें अगले प्रश्न पर ले जाएगा कि क्या बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप न करने से कोई हस्तक्षेप होता है। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 01.09.2003 से बर्खास्तगी के आदेश को दी गई पूर्वव्यापीता में न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। यह अंतिम हो गया है और इसे प्रत्यर्थी संगठन द्वारा बर्खास्तगी के आदेश की तारीख से इसके प्रभाव की तारीख को संशोधित करके प्रभावी किया गया था। उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते समय, के निर्णय को फिर से संदर्भित करना प्रासंगिक है

/

/

798

/

[2023] 5 एस सी आर।

तुलसीराम पटेल के मामले में संविधान पीठ (ऊपर)। हालाँकि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस तरह के आदेश को दुर्भावनापूर्ण आधार पर या पूरी तरह से बाहरी आधारों पर आधारित होने के कारण चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मामले में, बर्खास्तगी के आदेश को ऐसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाती है। तुलसीराम पटेल के मामले (ऊपर) में निर्णय के अनुसार, जब एक बार जांच के साथ इस तरह की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि एक दोषी कर्मचारी पर क्या जुर्माना लगाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उस प्रश्न पर सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा मानने के बाद भी, तुलसीराम पटेल के मामले (ऊपर) के पैराग्राफ 114 में, यह माना गया था कि इस निर्णय पर पहुंचने के लिए कि कौन सा जुर्माना लगाया जाना चाहिए, अनुशासनात्मक प्राधिकरण को टी. आर. चेलप्पन के मामले (ऊपर) में निर्धारित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होगा। फिर, प्रश्न यह है कि टी. आर. चेलप्पन के मामले (उपरोक्त) के संदर्भ में इस संबंध में किन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। टी. आर. चेलप्पन के मामले (उपरोक्त) में निर्णय की जांच से यह पता चलता है कि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को इस प्रश्न का निर्णय करते समय कि किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दोषी कर्मचारी पर क्या जुर्माना लगाया जाना चाहिए, अपराधी कर्मचारी के पूरे आचरण, उसके द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता, प्रशासन पर उसके कदाचार के प्रभाव और मामले में मौजूद अन्य विस्तारित परिस्थितियों या छूट देने वाली विशेषताओं आदि को ध्यान में रखना होगा। न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे पहलुओं पर गौर किया गया। हम इसमें एक वैज्ञानिक/इंजीनियर के रूप में अपनी भूमिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसमें की भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की ओर से किए गए कार्यों और चूक का भी उल्लेख कर चुके हैं। यह केवल अपीलार्थी की अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं है जो वास्तव में प्राधिकरण के साथ वजन करती है और स्पष्ट रूप से, संगठन इस मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए ईमानदारी, अखंडता, विश्वसनीयता, निर्भरता और विश्वसनीयता पर संदेह

करने में पूरी तरह से उचित है, जैसा कि जवाबी शपथपत्र में समझाया गया है, इस रुख पर विचार करने के अलावा कि विदेशी संस्थान के साथ उनका अनधिकृत जुड़ाव, विशेष रूप से प्रणोदन के क्षेत्र में, जो संगठन में एक रणनीतिक अनुसंधान और विकास विषय है और जिसके आधार पर देश के रॉकेट और महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं/आगे बढ़ रहे हैं, राज्य की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय था। जब इस तरह के कार्य/आचरण एक संवेदनशील और रणनीतिक संगठन में एक वैज्ञानिक द्वारा किए जाते हैं, तो सेवा से बर्खास्तगी लगाने के निर्णय को अवैध या पूरी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता है कि ए

/

/

/

/

/

/

/

799

डॉ. वी. आर. सनल कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। [सी. टी. रविकुमार, जे.

उच्च न्यायालय का निर्णय , न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गारंटी देता है। इसलिए, अपील विफल होनी चाहिए और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है, हालांकि, बिना किसी लागत के।

/

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: राखी, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/